



दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
उप निदेशक (श्रम-कल्याण)
वरुणालय "बी" बिल्डिंग,
करोल बाग नई दिल्ली-110005

निर्देशात्मक आदेश

विषय: - सेवा-निवृत होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय लाभांशों का विवरण सेवा-निवृत माह की 25वीं तारीख तक भेजने के निर्देश।

प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर दिल्ली जल बोर्ड से सेवा-निवृत होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के सम्मान में दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया जाता है। सेवा-निवृत समारोह मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में संचालित किया जाता है, जिसमें सदस्य प्रशासन, निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी-गण भी उपस्थित रहते हैं।

सेवा-निवृत समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सेवा-निवृत होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय सभी लाभांशों का भुगतान उनकी सेवा-निवृति तक अवश्य हो जाए। इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में आया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा सेवा-निवृत होने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को देय लाभांशों का विवरण श्रम-कल्याण विभाग में उचित समय पर प्राप्त नहीं हो पाता जिस कारण अनावश्यक असमंजस/ संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतः अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देश देने का आदेश प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से, सेवा-निवृत होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के देय लाभांशों का विवरण, सेवा-निवृत माह के तृतीय सप्ताह की **25 तारीख तक श्रम-कल्याण विभाग में पहुंचाना सुनिश्चित करें।** यदि किसी अधिकारी/ कर्मचारी के देय लाभांशों को किन्हीं कारणों से रोका जाता है तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट माह की **15 तारीख तक श्रम-कल्याण विभाग में अवश्य प्रेषित की जाए।**

उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में कोई कोताही पाए जाने पर सम्बंधित विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे और उक्त मामला सक्षम अधिकारी के समक्ष विभागीय कार्यवाई करने हेतु प्रस्तुत करा दिया जाएगा।

Addl. Chief Engineer (Project)-I
EDP Cell, Delhi Jal Board, GNCTD
Dy. No. 671, dt. 24-03-2023

५२१५१८
(यशपाल गेरा)

उप निदेशक (श्रम-कल्याण)

सभी विभागाध्यक्ष, दि. ज. बो.

A.C.E.(P) 1

क.दि.ज.बो./ उ.नि. (श.क.)/ 2023/ डी- 1047
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 21/03/2023

1. सदस्य (प्रशासन)/ सदस्य (वित्त): सूचनार्थ।
2. निदेशक (प्र. एवं का.): सूचनार्थ।
3. अधिशासी अभियंता (ई.डी.पी.): दि.ज.बो. की वेब-साईट पर प्रकाशनार्थ।
4. परामर्श दात्री (जन-संपर्क): वरुण पत्रिका में प्रकाशनार्थ।

उप निदेशक (श्रम-कल्याण)

Sh. vishwanath.
Please upload on the website. h
21/03/23